

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14( )2016/एफसीए/प्रमुवसं./1001

दिनांक 16/04/2024

विशिष्ट शासन सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
राजस्थान सरकार,  
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.59 ha. of forest land for construction of approach road to foosod mata ji in District Kota (Rajasthan) (Proposal no. FP/RJ/ROAD/152647/2022)

संदर्भ:- विशिष्ट शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक प. 1(108)वन/2023 जयपुर दिनांक 19.12.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आलोच्य प्रकरण में चाही गई सूचना निम्नानुसार हैं:-

क्र.स.	आक्षेप	अनुपालना
1	मंदिर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अतः इसकी आवश्यकता के कारण स्पष्ट करावें।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया गया है कि मौजूद वैकल्पिक रास्ता नदी की तलहटी से होकर गुजरता है जो वर्षा ऋतु के दौरान 3 से 4 महीने तक पूर्ण रूप से नदी के बहाव में डूबने के कारण बन्द रहता है। उक्त दृष्टि से जनहित में प्रस्तावित एलाईमेंट ही उपयुक्त है।
2.	निरीक्षण रिपोर्ट अत्यधिक पुरानी है। अतः वर्तमान स्थिति के साथ Site Inspection Report भिजवाने का श्रम करें	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अद्यतन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट II में संलग्न कर दी गई है।
3.	Area calculation sheet संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा अधिप्रमाणित नहीं है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा Area calculation sheet प्रमाणित कर संलग्न कर दी गई है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha  
( शिखा मेहरा )

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 16/04/2024

क्रमांक: एफ. 14( )2016/एफसीए/प्रमुवसं./1002-1004

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा
2. उप वन संरक्षक, कोटा।
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड इटावा कोटा, राजस्थान।

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर